आमने-सामने

हौसलों की उड़ान

सादिया अज़ीम

आजकल सोलह साल की सुनीता मुर्मू की बड़ी तारीफ़ हो रही है। इस युवती ने बंगाल के सबसे पिछड़े ज़िले बीरभूम के मुहम्मद बाज़ार पुलिस थाने में अपने समुदाय के दबंग अपराधियों के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज कराने की हिम्मत दिखाई। यही नहीं उसने उनको अपने यौन उत्पीड़न, हिंसा और सामाजिक बहिष्कार के लिए सज़ा भी दिलवाई।

फ़ोटो: सादिया अज़ीम/विमेंस फ़ीचर सर्विस

एक समय था जब सुनीता आम लड़कियों की तरह दिहाड़ी मज़दूरी करती थी और अपने माता-पिता के साथ पुरुष-प्रधान समाज के दबाव में रहती थी। फिर उसकी किस्मत बदली। उसे पास के गांव के एक गैर आदिवासी लड़के से प्यार हो गया। गांव की आदिवासी पंचायत को इस बारे में पता चला और सुनीता की परेशानी शुरू हो गई।

उसे इस जुर्रत के लिए आदिवासी पंचायत ने सज़ा सुनाई- उसे निर्वस्त्र करके पूरे गांव में घुमाया गया। जब सुनीता को नग्न अवस्था में गांव में घुमाया जा रहा था तब तमाम लोग ताने कस रहे थे। कुछ ने उसकी तस्वीरें और वीडियो भी बनाए और मोबाइल के ज़रिए पूरे गांववासियों को भेजे जिससे कोई अन्य लड़की सुनीता का 'जुर्म' दोहराने की हिम्मत न कर सके।

गांव में कोई भी सुनीता की मदद के लिए आगे नहीं आया। माता-पिता मजबूर थे और पुलिस वाले भी इस अन्याय को रोकने नहीं पहुंचे। दो घंटों और आठ किलोमीटर की इस हिंसा के बाद सुनीता को एक कोने में फेंक दिया गया। आदिवासी पंचायत का विरोध गांव की निर्वाचित पंचायत ने भी नहीं किया। किसी तरह खुद को घसीटकर सुनीता अपने घर पहुंची जहां उसके पड़ोसियों ने उसका जीना दूभर कर दिया।

इस वारदात में समुदाय के नेता भी शामिल थे लिहाज़ा सभी सबूत नष्ट कर दिए गए थे। दो माह तक सुनीता अपनी झोपड़ी से बाहर नहीं निकली। परिवार और रिश्तेदारों ने उसे समझाया कि वह सब कुछ भूलकर आगे बढ़े पर सुनीता ने अपने साथ हुए अन्याय पर आवाज़ उठाने का निश्चय कर लिया था। उसके माता-पिता ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर सुनीता ने कहा "मैं इस घटना को कैसे भूल सकती हूं। मैं इस दर्द और अपमान के साथ जी रही हूं। अब मैं औरतों के साथ परम्परा के नाम पर होने वाले सभी जुर्मों के ख़िलाफ़ लडूंगी।"

दो महीने बाद जब पुलिस मामले की छानबीन करने उसके घर आई तब सुनीता ने अकेले ही पूरी घटना का ब्योरा पुलिस को दिया और औपचारिक तौर पर शिकायत दर्ज कराई। सबूत के नाम पर उसके पास केवल वहीं

एमएमएस था जो लोगों के फ़ोन पर भेजा गया था। गवाही देने को गांव एक एक भी आदमी तैयार नहीं था- कुछ अपराधियों की ताकत से डरते थे- कुछ मानते थे कि वे अपनी परम्परा की सुरक्षा के लिए खड़े हैं।

बीरभूम में सुनीता की मां और बहन

फ़ोटोः सादिया अज़ीम/विमेंस फ़ीचर सर्विस

पर अब सुनीता रुकने वाली नहीं थी। केस की जांच-पड़ताल करने वाले रामपुर हाट के एक अफ़सर बताते हैं, "किसी युवती में इतना आत्म-विश्वास हमने पहली बार देखा था। हमें लगा था वह घबराई होगी और हमारे साथ सहयोग नहीं करेगी। ऐसे मामलों में अक्सर पीड़ित अपराधी को पहचानने से इंकार कर देते हैं। पर सुनीता इन सबको जानती थी। यही आत्मविश्वास उसे समुदाय का सहयोग भी दिला सकता था।"

शिकायत दर्ज होने के दो रोज़ बाद ही मुख्य छः अभियुक्तों को गिरफ़्तार कर लिया गया। इन युवा अपराधियों ने ग्रामवासियों को भड़काया और फिर उन पर खामोश रहने के लिए दबाव भी डाला था।

समुदाय से आने वाली परेशानियों से बचाने के लिए सुनीता को रामपुरहाट के एक सरकारी आश्रयघर 'पुष्पराग' भेज दिया गया। अब वह वहीं रहती है। अपना भविष्य सुधारने के लिए वह सिलाई-कढ़ाई का काम भी सीख रही है। ज़िला प्रशासन ने उसके लिए एक बचत खाता भी खोल दिया है।

प्रशासन ने सुनीता का नाम राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के लिए भेजा। इलाके के ज़िला मजिस्ट्रेट सौमित्र मोहन बताते हैं- "यह एक अनोखा मामला था क्योंकि सुनीता ने अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ी। फिर यह लड़ाई एक संगठित जुर्म, पुराने, दकियानूसी मूल्यों और अवैध पंचायत सत्ता के ख़िलाफ़ थी।"

आज सुनीता का नाम उन छब्बीस युवाओं में शामिल है जिन्हें राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है।

हालांकि सुनीता ने अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर लिया है पर फिर भी वह एक अकेला और बहिष्कृत जीवन जीने को बाध्य है। वह वापस अपने गांव नहीं जा पाई है। उसके परिवार वाले अभी भी उससे बात करने से इंकार करते हैं। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और यह उसकी ज़िंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। गांव के अधिकांश लोग दिहाड़ी मज़दूर हैं और उनकी रोजी-रोटी सत्ताधारी पक्षों पर आश्रित है। पर सुनीता को इस बात से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। वह कहती है, "मैं वापस नहीं गई हूं पर इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने कुछ गलत किया है। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और उन लोगों के अधिकारों के लिए संघर्ष करूंगी जो मेरी तरह अकेले और निराश्रय है।"

सौभाग्य से सुनीता का जीवन इलाके की अन्य किशोरियों को प्रेरित कर रहा है। एक स्थानीय कन्या विद्यालय की प्रधान अध्यापिका कहती हैं, "मैं अपने स्कूल की लड़कियों को बताती हूं कि अन्याय सहना अन्याय करने के बराबर ही है। हमें सुनीता से सीखना चाहिए कि समाज में हो रहे अन्याय को चुनौती कैसे दी जाए।"

माहौल अब धीरे-धीरे बदल रहा है। उसके सहयोग में आवाज़ें उठ रही हैं। महिला संगठनों की मांग है कि सुनीता का उसके समुदाय में पुनर्वास किया जाए। ज़िला मजिस्ट्रेट कहते हैं कि "हम अपनी कोशिश जारी रखेगें। फिलहाल सुनीता को अपनी तीन साल की शिक्षा पर ध्यान देना है। इस बीच उसके समुदाय में भी उसकी उपलब्धियों को सराहा जा रहा है। हमारा मानना है कि राष्ट्रीय सम्मान में मिला मेडल, रुपये और राष्ट्रीय पहचान सार्वजनिक रवैयों को बदल कर रख देगी।"

साभारः विमेंस फ़ीचर सर्विस

सादिया अज़ीम, *विमेंस फ़ीचर सर्विस के लिए लिखती हैं।*